न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 16 / 2023	2023 / 535	26.07.2023	31.07.2024

1. एमना बेवा स्व० सुमेर, उम्र करीब 55 साल
2. हाकम पुत्र सुमेर, उम्र करीब 30 साल
3. कासम पुत्र सुमेर, उम्र करीब 28 साल
4. सहाबुद्दीन पुत्र सुमेर, उम्र करीब 25 साल
5. मौसम पुत्र सुमेर, उम्र करीब 20 साल
6. तैयब पुत्र सुमेर, (मृतक)

6 / 1. नूरजहां पत्नी तैयब, उम्र करीब 30 साल,
6 / 2. सहरन पुत्र तैयबद, उम्र करीब 10 साल
6 / 3. साजिद पुत्र तैयब, उम्र करीब 8 साल
6 / 4. इमरान पुत्र तैयब, उम्र करीब 7 साल,
नाबालिगान जरिये सरपरस्त व कुदरती वली मु० नूरजहां माता खुद
जातियान मेव, निवासीयान ग्राम कैमाला, तह0 व जिला अलवर जिला अलवर (राज०)।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. जुहरू पुत्र रमजान
2. आशु पुत्र रमजान
3. आसीन पुत्र रमजान

जाति मेव, निवासी ग्राम दाउदपुर, अलवर जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, अलवर दिनांक 26.08.1988 प्रकरण संख्या 354 / 1988 बअनुवान ऐमना वगै. बनाम जुहुरू वगै. अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–
01.श्री शैलेन्द्र भार्गव —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री प्रभूसिंह —वकील रेस्पो0

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, अलवर जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 354 / 1988 बअनुवान ऐमना वगै. बनाम जुहुरू वगै. में अपीलान्ट के कब्जे काश्त व स्वामित्व के कुंए की सनद विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट के नाम जारी की गई, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम केमाला पटवार क्षेत्र देसूला, तहसील अलवर में आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन चाह पुख्ता जिसका नया खसरा नम्बर 620 रकबा 6 एयर गैरमुमकिन चाह वाके है। उक्त गैर मुमकिन चाह व आराजी रकबा 6 एयर पर अपीलान्ट के ससुर चान्दसिंह पुत्र बोदनसिंह, जाति मेव काबिज व खातेदार थे जैसा कि जमाबंदी सम्वत 2041 से जाहिर है, जिसमें चांदसिंह पुत्र बोदनसिंह, जाति मेव, हिस्सा 1 / 2 साकिन देह अलॉटी दर्ज है। चांदसिंह का निधन हो चुका है उनके पुत्र सुमेर का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टा नं० 1 एमना बेवा सुमेर उनकी पुत्र वधु है व अपीलान्ट नं० 2, 3, 4 व 5 उनके

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पौत्र हैं व अपीलान्ट नं० 6 तैयब का भी निधन हो गया है और उसके वारिसान को भी बतौर वारिसान शामिल किया गया है। श्री चांदसिंह के निधन के पश्चात अपीलान्टान आराजी व गैरमुमकिन चाह पर बतौर वारिसान काबिज हैं व शांतिपूर्ण तरीके से चाह का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। जमाबंदी सम्वत 2060 में अपीलान्टा के नाम का इंद्राज दर्ज किया गया है। अपीलान्टा द्वारा उक्त कुंए व आराजी को भूमि विकास बैक, रामगढ में रहन भी रखा हुआ है। रेस्पोडेन्टान का आराजी व चाह से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है परन्तु उनके द्वारा झूठे तथ्य बताकर व फरेब व धोखे से एक सनद क्रमांक 354/88 दिनांक 26–8–1988 स्वंय के हक में जारी करा ली गई है। सनद तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, जिला अलवर के हस्ताक्षर से जारी की गई है व रेस्पोडेन्ट से कुंए की सनद की कुल कीमत 25/– रूपये वसूल किया जाना दर्ज किया गया है। कुंआ अथवा आराजी कस्टोडियन विभाग किसी रेवेन्यु रेकॉर्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज है, परन्तु तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सनद जारी की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त सनद जारी करने से पूर्व हम अपीलान्टान को कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया जबकि हम अपीलान्टान कुंए व आराजी पर बुजुर्गों के जमाने से काबिज रहकर उपभोग व उपयोग कर रहे हैं व समस्त रेवेन्यु रेकॉर्ड में हमारे बुजुर्गों का व हमारा नाम दर्ज है इस प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अव्हेलना कर सनद जारी की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टा एक अपनढ व गरीब विधवा है जिसे इस सनद की जारी करने से पूर्व कोई नोटिस भी नहीं दिया गया जब रेस्पोडेन्टान द्वारा यह खुले आम कहा गया कि उन्होंने कुंए की सनद ले ली है और जबरन वे अपीलान्टान को ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे तब अपीलान्टा ने सनद की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 28–10–2005 को प्रस्तुत किया जिस पर उसे 6 माह तक करीब 50 चक्कर लगवाने के बाद यह कहा गया कि मूल पत्रावली राजस्व शाखा से गुम हो गई है जिस पर अपीलान्टा ने अपने प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन पत्र की नकल हेतु दिनांक 29–04–2006 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल उसे दिनांक 01–05–2006 को तैयार कर दी गई जिस पर अपीलान्टा ने अभिभाषक से कानूनी विचार विमर्श किया। तत्पश्चात कुछ खर्चे की रकम का बंदोबस्त किया परन्तु अपीलान्टा के पुत्र तैयब (मृतक) के पुत्र साजिद बीमार हो गया जिसके सेवा सुश्रुषा व बीमारी का इलाज अपीलान्टा ने ही किया जो आज भी गंभीर रूप से बीमार है परन्तु समय निकाल कर अपीलान्टा ने अभिभाषक से समपर्क कर मौजूदा अपील दायर करने की राय दी है जो अपील जानकारी से साधारणतया अंदर मियाद है, किन्तु वास्ते रफा हुज्जत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम अलेहदा से प्रस्तुत है। यह कि विकल्प में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय बिना क्षेत्राधिकार पारित किया गया है जिसकी अपील की कोई मियाद मुकर्रिर नहीं है। अपीलान्टा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व कुंए के स्वामित्व की सनद दिनांक 26–08–1988 की प्रमाणित प्रतिलिपि देने से इंकार कर दिया है इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना संभव नहीं है व प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन पत्र की नकल प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील हाजा पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर दिनांक 26–08–1988 निरस्त फरमाई जावे या अन्य मुनासिब हितकर अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि चांदसिंह का निधन हो चुका है उनके पुत्र सुमेर का भी निधन हो चुका है। अपीलान्टा नं० 1 एमना बेवा सुमेर उनकी पुत्र वधु है व अपीलान्ट नं० 2, 3, 4 व 5 उनके पौत्र हैं व अपीलान्ट नं० 6 तैयब का भी निधन हो गया है। उसके पश्चात से रेस्पो0 आराजी व गैरमुमकिन चाह पर काबिज हैं व शांतिपूर्ण तरीके से चाह का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अपीलान्टा द्वारा उक्त कुंए व आराजी को भूमि विकास बैक, रामगढ में रहन भी रखा हुआ है। रेस्पोडेन्टान उक्त आराजी के वास्तविक हकदार हैं एवं सनद क्रमांक 354/88 दिनांक 26–8–1988 रेस्पो0 के हक में जारी की गई है। सनद तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, जिला अलवर के हस्ताक्षर से जारी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गई है व रेस्पो0 से कुंए की सनद की कुल कीमत 25/– रूपये वसूल किया जाना दर्ज किया गया है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अलवर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सनद जारी नहीं की है। किसी प्रकार के न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अव्हेलना कर सनद जारी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिवत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्टान खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2020 खसरा नं0 353 रकबा 5 बिस्वा चांदसिंह पुत्र बोदल कौम मेव सा0 देह हिस्सेदार के रूप में अलॉट की हुई है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी ख0नं0 353 गैर मुमकिन चाह उनकी खरीदशुदा आराजी होना अंकित किया गया है, परन्तु किस प्रकार से उक्त आराजी को क्रय किया गया, के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए गए हैं, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित सनद नहीं भिजवायी जाकर कार्यालय टिप्पणी एवं अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यालय टिप्पणी में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी खरीदशुदा बताया गया है एवं किसी अन्य का कब्जा नहीं होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यालय टिप्पणी अनुसार पटवारी हल्का देसूला द्वारा जाहिर किया गया है कि उक्त आराजी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त आराजी है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद जारी की गई, लेकिन सनद की प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वर्तमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 60 दिवस में विधिवत विस्तृत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)